

अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में उ0प्र0 की पहल
विकलांगजन आयुक्त संगठन की स्थापना
उत्तर प्रदेश शासन
विकलांग कल्याण (2) अनुभाग
संख्या-945/65-2-98-129/98
लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 1998

कार्यालय ज्ञाप

विकलांग जन (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 60 (1) में निहित प्राविधान के अन्तर्गत **विकलांग जन आयुक्त के कार्यालय के स्थापनार्थ** श्री राज्यपाल निम्नलिखित राजपत्रित/अराजपत्रित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित संख्या तथा वेतनमान में इस आदेश के जारी होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि में से, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.99 तक के लिए यदि इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने तथा उनके वेतन आदि के व्यय हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार रू0 570 लाख (रूपये पांच लाख सत्तर हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
विकलांग जन आयुक्त (आई.ए0एस0 संवर्ग)	रू0 18400-22400	1	-
उपायुक्त	अपने संवर्ग के अनुसार	1	इस पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी, जो विकलांगता के विषय में विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी हो।
आशुलिपिक	रू0 4000-100-6000	1	1. विकलांग जन आयुक्त एवं उपायुक्त से सम्बद्ध। 2. इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता, भर्ती की विधि पूर्व की भाँति ही रखी जाय।
विधि सहायक	रू0 5000-150-8000	1	इस पद की सेवा पूर्ति बाद में निर्धारित की जायेगी।
वरिष्ठ लिपिक	रू0 4000-100-6000	1	इस पर नियुक्ति हेतु अर्हता, भर्ती की विधि पूर्व की भाँति ही रखी जाय।
कनिष्ठ लिपिक	रू0 3050-75-3950-80-4590	1	तदैव
वाहन चालक	रू0 3050-75-3950-80-4590	1	इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता, भर्ती की विधि पूर्व की भाँति ही रखी जाय।
चपरासी	रू0 2550-55-2660-60-3200	1	तदैव

योग- 9 (नौ पद)

2-15- विकलांग कल्याण जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना

01-	वेतन	रु0 1.20 लाख
08-	कार्यालय व्यय	रु0 1.10 लाख
13-	टेलीफोन पर व्यय	रु0 15 लाख
14-	कार्यालय प्रयोगार्थ	रु0 3.25 लाख

स्टाफ कारो/मोटर गाड़ियों का क्रय

योग -

5.70 लाख

रूपये पांच लाख सत्तर हजार मात्र

3- उपर्युक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखा शीर्षक72235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (आयोजनोत्तर) 02- समाज कल्याण-101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, आयोजनोत्तर-15 विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना के नामें डाला जायेगा।

4- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियामें एव आदेशों/ निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करते हुए वाहन एवं उपकरणों का क्रय उद्योग निदेशक के माध्यम से किया जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-1761/दस-98 दिनांक 9-9-98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

धर्मेन्द्र देव
प्रमुख सचिव

संख्या - (1)/65-2-98-129/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) विकलांग जन आयुक्त (पदेन) सचिव, विकलांग कल्याण विभाग।
- (3) निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- (4) कोषाधिकारी, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, वित्त (बजट) 1/2 अनुभाग।
- (6) अनु सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग-1।
- (7) सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (9) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग।

आज्ञा से,

(आर0ए0 प्रसाद)

विशेष सचिव।